भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 343*
(25 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

मनरेगा के अंतर्गत बकाया राशि

***343. श्री बापी हलदरः**

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत राज्यवार कुल कितनी राशि बकाया है; और

(ख) विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान मनरेगा के अंतर्गत राज्यवार कुल कितनी धनराशि का भुगतान किया गया और उसका ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास मंत्री
(श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) और (ख): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

लोक सभा में दिनांक 25.03.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या 343* के भाग (क) और (ख) के उत्तर में दिया गया विवरण।

(क): महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) एक मांग आधारित मजदूरी रोजगार योजना है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां जारी करना एक सतत प्रक्रिया है और केन्द्र सरकार जमीनी स्तर पर कार्य की मांग के अनुसार योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

दिनांक 18.03.2025 तक महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत मजदूरी , सामग्री और प्रशासनिक घटक हेतु लंबित देयताओं का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ख): पिछले तीन वित्तीय वर्षों और वर्तमान वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान दिनांक 18.03.2025 तक महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत जारी की गई निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

अनुबंध-I

लोक सभा में दिनांक 25.03.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या 343 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

दिनांक 18.03.2025 तक महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत मजदूरी , सामग्री और प्रशासनिक घटक हेतु लंबित देयताओं का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा (करोड़ रुपए में)			
क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मजदूरी	सामग्री और प्रशासनिक
1	आंध्र प्रदेश	730.89	1309.01
2	अरुणाचल प्रदेश	133.83	112.74
3	असम	335.83	167.29
4	बिहार	1555.39	1152.97
5	छत्तीसगढ़	553.20	72.42
6	गोवा	0.98	0.00
7	गुजरात	108.39	67.38
8	हरियाणा	86.91	61.99
9	हिमाचल प्रदेश	194.36	76.08
10	जम्मू और कश्मीर	250.34	189.47
11	झारखंड	340.34	281.48
12	कर्नाटक	403.01	283.52
13	केरल	866.91	146.76
14	लद्दाख	2.30	0.00
15	मध्य प्रदेश	628.19	521.95
16	महाराष्ट्र	974.24	1710.16
17	मणिपुर	164.82	204.91
18	मेघालय	233.55	206.88
19	मिजोरम	50.20	1.43
20	नागालैंड	37.97	38.18
21	ओडिशा	369.49	155.92
22	पंजाब	217.64	12.46
23	राजस्थान	1236.44	749.97
24	सिक्किम	14.00	30.04
25	तमिलनाडु	2927.67	752.97
26	तेलंगाना	116.28	352.29
27	त्रिपुरा	88.82	80.02
28	उत्तर प्रदेश	1977.29	1526.16
29	उत्तराखंड	79.16	129.22
30	पुदुचेरी	3.06	0.60
	कुल	14,681.52	10,394.29

अनुबंध- II

लोक सभा में दिनांक 25.03.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या 343 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पिछले तीन वित्तीय वर्षों और वर्तमान वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान दिनांक 18.03.2025 तक महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत जारी की गई निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा (करोड़ रुपए में)					
क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1	आंध्र प्रदेश	7182.67	7989.09	7332.63	7558.95
2	अरुणाचल प्रदेश	453.74	577.58	426.10	525.81
3	असम	2220.26	2052.35	2221.38	1925.67
4	बिहार	5407.37	6395.29	6200.03	6723.31
5	छत्तीसगढ़	3894.34	3383.55	2888.56	3277.56
6	गोवा	0.04	5.12	0.88	3.17
7	गुजरात	1615.24	1692.07	1801.62	1503.74
8	हरियाणा	722.68	373.99	476.71	591.38
9	हिमाचल प्रदेश	975.75	1157.48	997.13	1207.69
10	जम्मू और कश्मीर	950.14	1050.61	920.44	1157.98
11	झारखंड	3063.83	2708.64	2916.76	2577.51
12	कर्नाटक	6028.08	6225.28	5415.74	5557.32
13	केरल	3551.93	3818.43	3513.48	3034.24
14	मध्य प्रदेश	8479.09	5702.13	5871.14	6004.84
15	महाराष्ट्र	2056.46	2549.73	3034.44	4424.26
16	मणिपुर	563.11	1086.63	0.00	579.11
17	मेघालय	1121.66	1116.92	912.33	1113.78
18	मिजोरम	548.92	538.72	506.06	594.67
19	नागालैंड	569.46	897.45	637.96	271.62
20	ओडिशा	5680.15	4638.36	4891.89	3706.59
21	पंजाब	1257.59	1182.13	1166.55	1260.36
22	राजस्थान	9867.75	9662.99	8671.62	7682.69
23	सिक्किम	112.42	92.55	111.95	96.37
24	तमिलनाडु	9638.13	9706.62	12603.36	7391.30
25	तेलंगाना	4105.20	2988.68	3508.59	3821.51
26	त्रिपुरा	988.88	922.03	1043.59	1047.24
27	उत्तर प्रदेश	8509.57	10629.01	9808.55	9739.87
28	उत्तराखंड	642.03	792.84	551.66	597.01
29	पश्चिम बंगाल*	7507.80	0.00	0.00	0.00
30	अंडमान और निकोबार	7.63	9.60	0.00	4.44
31	लक्षद्वीप	0.30	0.00	0.00	0.32
32	पुदुचेरी	13.07	24.95	58.77	39.99
33	लद्दाख	59.04	68.93	62.64	85.38
34	दादरा और नगर हवेली	0.00	1.62	2.21	9.02
	दमन और दीव	0.00			
कुल		97,794.33	90,041.39	88,554.76	84,114.70

* केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन न करने के कारण इस अधिनियम की धारा 27 के तहत पश्चिम बंगाल राज्य को दिनांक 09 मार्च, 2022 से निधियां जारी करना रोक दिया गया है।